न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।
पीठासीन अधिकारी–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)
JO Code No-UP 5743
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–959/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण सं0 2148/2026
(CNR UPLP 01004775-2026)

सुशील कुमार उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र कल्लू निवासी ग्राम अभयपुर थाना पढुआ, जिला लखीमपुर–खीरी।

बनाम्

उ0प्र0राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–129/2026
धारा–64(2)एम, 87, 351(3) बी0एन0एस0
थाना शारदानगर, जिला–लखीमपुर खीरी।

16.07.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त सुशील कुमार की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–129/2026, धारा–64(2)एम, 87, 351(3) बी0एन0एस0, थाना शारदानगर, जिला–लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा सत्यपाल द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 19.05.2026 को इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनॉक–17.05.2026, को वादी मुदमा की बहन/पीड़िता उम्र लगभग 16 वर्ष, मौसी फूलमती पत्नी बृजलाल निवासी ग्राम तनाजा मजरा कोठिया थाना शारदानगर, जनपद खीरी के घर आयी हुयी थी। दिनॉक–18.05.2026, को समय लगभग दिन में 01:00 बजे की घटना है, जब मौसा बृजलाल घर पर मौजूद नहीं थे, उसी बीच विपक्षी सुशील कुमार उसके मौसा के घर आकर घर में मौजूद उसकी बहन को बहला–फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। उसने व उसके मौसा ने अभी तक काफी खोजबीन की, मगर कहीं पता नहीं चल सका है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर संबंधित थाने पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा–137(2), 87 बी0एन0एस0 में पंजीकृत किया गया तथा दौरान विवेचना पीड़िता बयान अन्तर्गत धारा–180 व 183 बी0एन0एस0एस0, के आधार पर मामला धारा–64(1), 87, 351(3) बी0एन0एस0 में तरमीम किया गया। मामले की विवेचना अभी प्रचलित है।

3– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिए गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष है तथा उसने

कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त उन्वान मुकदमें में रंजिशन व साजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष का कथन फर्जी व बनावटी है तथा कथित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, जिससे कथित घटना फर्जी एवं बनावटी प्रतीत होती है। कथित घटना दिनॉक–18.05.2026, को समय 13:00 बजे की बतायी गयी है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनॉक–19.05.2026, को समय 14:41 बजे काफी विलम्ब से राय मश्विरा करके अंकित करायी गयी है, जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 500 मीटर है। विलम्ब का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कथित पीड़िता से कभी कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा, न ही उसके मौसा के घर कभी गया है। वादी मुकदमा ने अपने बयानों में कथित घटना का समय 10:00 बजे बताया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के समय 13:00 बजे अंकित है। कथित पीड़िता पूर्ण रूप से बालिग है तथा अपना भला बुरा सोचने समझने में सक्षम है। पीड़िता उच्च प्राथमिक विद्यालय अटकोहना से वर्ष 2022 में कक्षा–8 की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसकी जन्मतिथि 12.10.2007 है। वादी मुकदमा ने मुकदमें में बल लाने व प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाने की नीयत से पीड़िता की उम्र 16 वर्ष अंकित की है। इस कारण भी कथित घटना असत्य एवं मनगढ़ंत प्रतीत होती है। कथित पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0, में कथन किया है कि मेरी उम्र लगभग 19 वर्ष है, कक्षा–10 तक पढ़ी हूॅ। मैने अपनी पढ़ाई बी0के0 रामापुर से सम्पन्न की है, मैं सुशील से दो माह से बात करती हूॅ, मैं अपनी मौसी के ग्राम तनाजा मजरा कोठिया थाना शारदानगर गयी थी, वहॉ से मैं सुशील कुमार के घर अपनी मर्जी से चली गयी थी। मैं दिनॉक–18.05.2026, को समय लगभग 01:00 पी0एम0 को सुशील के घर पहुॅच गयी, वहॉ मेरे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ, मैं सुशील के साथ शादी करना चाहती हूॅ। इस प्रकार भी प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। कथित पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी0एन0एस0एस0 में कथन किया है मैं दो महीने से सुशील से प्यार करती हूॅ। हम दोनों की बातचीत रौंग नम्बर से शुरू हुयी, रविवार को अपनी मम्मी से पूॅछकर अपनी मौसी के घर ग्राम तनाजा गयी थी, मेरी मम्मी ने ही मुझे आटो में बैठाया था, सोमवार सुशील ने मुझे फोन करके शारदानगर मिलने के लिए बुलाया, मैने आने से मना किया तो सुशील ने मुझे जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती मिलने के लिए बुलाया, मैं दिन में ग्यारह बजे उससे मिलने शारदानगर

गयी तो वह मुझे वहॉ से अपनी मौसी के घर रकेहटी ले गया, वहॉ एक घण्टा रूककर व मुझे अपनी नानी के घर ले गया, वहॉ मुझे रात भर रखा। सुशील ने मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे साथ तीन बार गलत शारीरिक सम्बन्ध बनाया फिर अगले दिन सुबह सुशील मुझे अपने घर अभयपुर ले गया, वहॉ पर एक घण्टे बाद ही मेरा भाई पुलिस के साथ मुझे लेने आ गया। इस प्रकार पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा–180 व 183 बी0एन0एस0एस0, में काफी विरोधाभाष है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि कथित पीड़िता उन्होने टहारा तिराहे से बरामद किया है जबकि पीड़िता ने अपने 183 बी0एन0एस0एस0, के बयान में कहा है कि मेरा भाई पुलिस के साथ मुझे व सुशील को ग्राम अभयपुर थाना पढुआ ले गये थे। इस प्रकार पुलिस द्वारा दिखायी गयी बरामदगी व गिरफ्तारी फर्जी एंव बनावटी है। मेडिकल रिपोर्ट में सप्लीमेंट्री के अनुसार पीड़िता के साथ कोई बलात्कार होने की पुष्टि नहीं हुयी है, न ही कोई चोटें मौजूद हैं, जिससे भी प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं का अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त ने वादी मुकदमा की पुत्री के साथ कोई बलात्कार जैसी घटना कारित नहीं की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में झूठा उल्लेख किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त अपराध से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को मात्र हैरान व परेशान करने की नीयत से झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त सीधा–सादा व्यक्ति है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के भागने या गवाहान पर असर करने का कोई डर नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है तथा दी गयी जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। पीड़िता ने बयान अन्तर्गत धारा–183 बी0एन0एस0एस0 में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जान से मारने की धमकी देकर जबरन बलात्कार किये जाने का कथन किया है। मामला बलात्कार जैसे गम्भीर अपराध से संबंधित है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

5– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6— पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रार्थी/अभियुक्त तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रारम्भ में प्रश्नगत मामला धारा—137(2), 87 बी0एन0एस0 के अन्तर्गत पीड़िता के भाई द्वारा पंजीकृत कराया गया था। दौरान विवेचना पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा—183 बी0एन0एस0एस0 तथा पीड़िता की जन्मतिथि के आधार पर मामले में धारा—137(2) बी0एन0एस0 का लोप करते हुये मामला धारा—64(1), 87, 351(3) बी0एन0एस0 में तरमीम किया गया। पीड़िता ने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी0एन0एस0एस0 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह अपनी मौसी के घर ग्राम तनाजा गयी थी। उसकी मम्मी ने ही आटो में बैठाया था। सोमवार सुशील ने उसे फोन करके शारदानगर मिलने के लिए बुलाया, उसने आने से मना किया तो सुशील ने उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती मिलने के लिए बुलाया। वह दिन में 11:00 बजे उससे मिलने शारदानगर गयी तो वह उसे वहॉ से अपनी मौसी के घर रकेहटी ले गया, वहॉ एक घण्टा रूककर वह उसे अपनी नानी के घर ले गया। वहॉ पर उसे रात भर रखा। सुशील ने उसके मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती उसके साथ तीन बार गलत काम (शारीरिक संबंध) किया। केस डायरी में प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। मामला बलात्कार जैसे गम्भीर अपराध से संबंधित है। मामले की विवेचना अभी प्रचलित है।

7— अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सुशील कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

दिनॉक—16.07.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.21 19:30:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court